प्रेस नोट　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　दिनांक 31.01.2026

कमिश्नरेट गाजियाबाद में इस सप्ताह दिनांक 29.01.2026 को न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/यातायात कमिश्नरेट गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत सुनवाई के उपरान्त चोरी/लूट की घटना कारित करने जैसे सम्बन्धी आदि अपराधों में लिप्त निम्नलिखित 08 विपक्षी/ अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। निम्नांकित अभियुक्तों/गुण्डों द्वारा उपरोक्त अपराध शीर्षक में लिप्त होने के उपरान्त जनता में इनका इतना भय व्याप्त है कि जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्व कोई रिपोर्ट पंजीकृत कराने व साक्ष्य देने का साहस नहीं जुटा पाता है। इनके जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) हो जाने के उपरान्त आम-जनमानस में भयमुक्त, अपराधमुक्त एवं शांति पूर्ण माहौल होने का विश्वास पैदा होगा :-

क्र0 सं0	वाद संख्या	थाना	विपक्षी का नाम व पता	आपराधिक इतिहास
1	235/2025	नन्दग्राम	सुन्दरपाल पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम गढी (ढरगल) प्राइमरी स्कूल के पास थाना नन्दग्राम, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 142/2025 धारा 115(2),316(2),318(4),351(2),352बीएनएस थाना नन्दग्राम, 2. मु0अ0सं0 144/2025 धारा 115(2),316(2),318(4),351(2),352 बीएनएस थाना नन्दग्राम,
2	288/2025	नन्दग्राम	साहिल पुत्र बाबू निवासी म0नं0-1111 गली नं0-10 सेवानगर थाना नन्दग्राम, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 616/2022 धारा 392,411,34 भादवि थाना सिहानीगेट, 2. मु0अ0सं0 777/2022 धारा 392,34 भादवि थाना सिहानीगेट, 3. मु0अ0सं0 86/2022 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली, 4. मु0अ0सं0 439/2024 धारा 323,506 भादवि थाना नन्दग्राम,
3	290/2025	क्रासिंग रिपब्लिक	अमित शर्मा पुत्र धर्मवीर शर्मा निवासी गली नं0 1 म0नं0 5 गली नं0 01 शिव मन्दिर के सामने विहारीपुर थाना क्रासिंग रिपब्लिक, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 215/2024 धारा 379,411 भादवि थाना क्रासिंग रिपब्लिक, 2. मु0अ0सं0 220/2024 धारा 379,411 भादवि थाना क्रासिंग रिपब्लिक,
4	292/2025	वेव सिटी	प्रवीन उर्फ परविन्द्र पुत्र देशराज निवासी ग्राम वयाना थाना वेव सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 129/2025 धारा 309(6),317(2) बीएनएस थाना वेव सिटी,

				2. मु0अ0सं0 134/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना वेव सिटी, , 3. मु0अ0सं0 422/2023 धारा 380,411,414 भा0द0वि0 व 4/25 आयुध अधि0 थाना वेव सिटी,
5	293/2025	वेव सिटी	सुहैल पुत्र अफसर निवासी मौ0 बाजीगरान कस्बा डासना थाना वेव सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 62/2024 धारा 392,411 भादवि थाना सिहानीगेट, 2. मु0अ0सं0 169/2024 धारा 392,411 भादवि थाना कविनगर, 3. मु0अ0सं0 293/2024 धारा 392,411 भादवि थाना सिहानीगेट, 4. मु0अ0सं0 243/2024 धारा 414 भा0द0वि0 थाना कोतवाली, 5. मु0अ0सं0 499/2024 धारा 392,411 भादवि थाना कोतवाली नगर,
6	294/2025	वेव सिटी	तालिब पुत्र इन्तजार निवासी मौ0 बाजीगरान कस्बा डासना थाना वेव सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 62/2024 धारा 392,411 भादवि थाना सिहानीगेट, 2. मु0अ0सं0 169/2024 धारा 392,411 भादवि थाना कविनगर, 3. मु0अ0सं0 226/2024 धारा 304(2),317(2)बीएनएस थाना बेवसिटी, 4. मु0अ0सं0 860/2024 धारा 309(4),317(5)बीएनएस थाना कविनगर,
7	302/2025	कौशाम्बी	तुषार कौशिक उर्फ तुषार पंडित पुत्र मनोज कौशिक निवासी-एफ-307, सेक्टर-03 वैशाली थाना कौशाम्बी, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 286/2023 धारा 147,323,506 भादवि थाना कौशाम्बी, 2. मु0अ0सं0 292/2024 धारा 115(2),351(2) बीएनएस थाना कौशाम्बी, 3. मु0अ0सं0 515/2025 धारा 115(2),351(2),352 बीएनएस थाना इन्दिरापुरम,
8	304/2025	नन्दग्राम	पियूष पुत्र सेठी निवासी म0नं0 499 गली नं0-05 सेवानगर नन्दग्राम थाना नन्दग्राम, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 616/2022 धारा 392,34 भादवि थाना सिहानीगेट, 2. मु0अ0सं0 777/2022 धारा 394,34 भादवि थाना सिहानीगेट, 3. मु0अ0सं0 86/2022 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली नगर,

यह भी उल्लेखनीय है कि कमिश्नरेट गाजियाबाद में वर्ष **2026 में 15** -विपक्षी/अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) तथा वर्ष **2026 में** 04- विपक्षी/अभियुक्त को स्थानीय थाने में हाजिरी देने हेतु आदेशित किया गया है।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 31.01.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1.सुहैल उर्फ शोहेल पुत्र लियाकत निवासी इकरामनगर मुस्तफाबाद लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष 2.फुरकान पुत्र इतवारी निवासी दिलबर सिटी निठौरा रोड नीलम हॉस्पिटल के पास राशिद गेट थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। उपरोक्त मोटरसाइकिल की चोरी के सम्बन्ध में थाना सीलमपुर दिल्ली में अभियोग पंजीकृत है। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 317(2),317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम आपस में एक दूसरे को काफी दिनों से जानते हैं। हम दोनों लोग पहले मोटरसाइकिल से घूमफिर कर रैकी करते हैं तथा मौका पाकर वाहन चोरी कर लेते हैं। हम अधिकांश फैक्ट्री एरिया व घनी आबादी के आसपास के क्षेत्रों से दुपहिया वाहनों की चोरी करते हैं जिनको ले जाकर घनी झाड़ियों में छिपा देते हैं और मौका देखकर हम लोग वाहनों को दिल्ली कबाडी बाजार में बेचकर पैसा लेकर आपस में बांट लेते हैं। हमने यह मोटरसाइकिल दिल्ली से चोरी की थी। आज हम इस मोटरसाइकिल को बेचने के लिए निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.सुहैल उर्फ शोहेल पुत्र लियाकत निवासी इकरामनगर मुस्तफाबाद लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।
2.फुरकान पुत्र इतवारी निवासी दिलबर सिटी निठौरा रोड नीलम हॉस्पिटल के पास राशिद गेट थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

1.अभियुक्त सुहैल उर्फ शोहेल के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, पूर्व में थाना लोनी बॉर्डर पर चोरी के 03 अभियोग तथा उक्त वाहन चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। **(कुल अभियोग-05)**

2.अभियुक्त फुरकान के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, पूर्व से थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी के 06 अभियोग, आयुध अधिनियम के 02 अभियोग, गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग ,थाना लोनी पर चोरी के 02 अभियोग, थाना टीला मोड़ पर चोरी का 01 अभियोग, थाना सोनिया विहार दिल्ली पर चोरी का 01 अभियोग तथा उक्त वाहन चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है।
(कुल अभियोग-15)। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त को हिरासत में लिया गया।

आज दिनांक 31.01.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अवैध पिस्टल 32 बोर के साथ अभियुक्त मोहित शर्मा पुत्र श्री सुखबीर शर्मा निवासी 460 गली न0 15 कान्ती वाली गली रेलवे रोड थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद को हिरासत में लिया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर धारा 352/131/351(3) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैने ये पिस्टल अपने रोब दिखाने के लिए अपने पास रखी हुई थी। मेरा पडोसी से झगडा हो गया था जिसमें मैने डराने के उद्देशय से उसके ऊपर तान दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त मोहित शर्मा पुत्र श्री सुखबीर शर्मा निवासी 460 गली न0 15 कान्ती वाली गली रेलवे रोड थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र 41 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाली 03 अभियुक्ता गिरफ्तार, तीनो के कब्जे से कुल 07 किलो 206 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 31.01.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा **ऑपरेशन प्रहार** के तहत अवैध गांजा की तस्करी करने वाली अभियुक्ता 1. साजिदा पुत्री साजिद निवासी म0नं0 642 लाल क्वार्टर सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष 2. साहिना खातून पत्नी स्व0 शाहबुद्दीन निवासी 642 लाल क्वार्टर सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष व 3. शबनम पत्नी बबलू त्रिपाठी निवासी म0नं0 954 लाल क्वार्टर सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद हाल पता- बबलू त्रिपाठी का मकान नं0 ई-24 गली नं 12 दयालपुर दिल्ली उम्र 34 वर्ष को रिछपाल गढी की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 07 किलो 206 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

मुख्य अभियुक्ता शबनम ने पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मैं लाल क्वाटर सुदामापुरी मे रहती हूं तथा उडिसा व दिल्ली के रहने वाले व्यक्तियों से भारी मात्रा मे गांजा सस्ते दामों पर लेकर आती हूँ। फिर हम लोग गांजे को छोटी छोटी पुडिया बनाकर लाल क्वाटर्स के आस पास रहने वाले गांजा पीने वाले लोगो को गांजा बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

(1) साजिदा पुत्री साजिद निवासी म0नं0 642 लाल क्वार्टर सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।
(2) साहिना खातून पत्नी स्व0 शाहबुद्दीन निवासी 642 लाल क्वार्टर सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष ।
(3) शबनम पत्नी बबलू त्रिपाठी निवासी म0नं0 954 लाल क्वार्टर सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद हाल पता-बबलू त्रिपाठी का मकान नं0 ई-24 गली नं 12 दयालपुर दिल्ली उम्र 34 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

07 किलो 506 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्ताओ के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्ता शबनम उपरोक्त के विरुद्ध थाना विजयनगर पर NDPS ACT से सम्बन्धित 02 अभियोग व आबकारी अधि0 से सम्बन्धित 02 अभियोग व थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर NDPS ACT से सम्बन्धित 03 अभियोग कुल 08 अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है तथा यह थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की HS है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा बच्ची को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया।

दिनांक 30.01.2026 को गुमशुदा बच्ची उम्र करीब 14 वर्ष के पिता द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर बताया गया कि उसकी बच्ची घर से नाराज होकर कही चली गयी है, जिसको हमने सभी जगह तलाश कर लिया है परन्तु उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। प्राप्त सूचना पर बच्ची की तलाश हेतु थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक से पुलिस टीमों का गठन किया गया।

उक्त प्रकरण में घटना स्थल के आस पास सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया तथा सर्विलांस के माध्यम से गुमशुदा की तलाश की गयी तो गुमशुदा बच्ची की लोकेशन बरेली स्टेशन की पायी गयी, जहाँ पर जीआरपी पुलिस बल से सम्पर्क कर जीआरपी बरेली को बच्ची का फोटो भेजा गया तथा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक से गठित पुलिस टीम द्वारा बच्ची को बरेली स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया गया।

पूछताछ का विवरण–

बच्ची द्वारा पूछताछ पर बताया कि मुझे मेरी मम्मी ने डॉट दिया था, जिस कारण मैं नाराज होकर घर से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर आयी तथा बिहार जाने वाली ट्रेन मे बैठ गयी। जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मै बरेली स्टेशन पर उतर गयी और वहाँ से एक व्यक्ति के फोन से अपने परिजनों से सम्पर्क किया फिर कुछ देर बाद मुझे पुलिस लेने के लिए आ गयी।

बच्ची को तलाश करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।